

न्यायालय : सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी.(डब्ल्यू.पी.)/जे.एम.पीलीभीत।
पीठासीन: भावना शर्मा, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)जे.ओ.कोड यू.पी.3592
परिवाद सं.256 / 2022

श्रीमती उज्ज्वी प्रति -----इश्ट्याक यार खां आदि।

धारा 12 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम।
थाना जहानाबाद, जिला पीलीभीत।

दिनांक: 19.02.2026

आज यह पत्रावली प्रस्तुत हुई। परिवादनी अनुपस्थित है। विपक्षी उपस्थित है।
परिवादिनी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र नहीं दिया गया है।

परिवादनी कई तिथियों से हाजिर नहीं आ रही है एवं ऐसा प्रतीत होता है कि वह
परिवाद कार्यवाही को आगे चलाना नहीं चाहती है। काफी प्रतीक्षा की जा चुकी है। इस
समय 4.45 बजे हैं।

परिवादिनी की अनुपस्थिति में परिवाद को आगे चलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता
है।

आदेश

परिवादनी की अनुपस्थिति में परिवाद निरस्त किया जाता है।
पत्रावली नियमानुसार बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

(भावना शर्मा)
सिविल जज (जू.डि.)/एफ.टी.सी.(डब्ल्यू.पी.)/
जे.एम.पीलीभीत।
19.02.2026